


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 346

No. 424]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

[N.C.T.D. No. 346

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 30/2017-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(43)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/743.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 क तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
" 9 ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से सम्बंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं,	कुछ नहीं"

यह अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03 (15) /वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण,भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25, 2017 राज्य कर (दर), दिनांक 6 नवम्बर, 2017 सं.फा. 03(37)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/704, दिनांक 6 नवम्बर, 2017, को संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2017

No. 30/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(43)/Fin./(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/743.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1) No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil”

This notification shall come into force with effect from the 29th day of September, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017–State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 25/2017–State Tax (Rate), dated the 6th November, 2017 *vide* number F. 3(37)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/704, dated the 6th November, 2017.